

Central Goods & Services Tax Rules, 2017

Rule 15 : Extension in period of operation by casual taxable person and non-resident taxable person

- (1) Where a registered casual taxable person or a non-resident taxable person intends to extend the period of registration indicated in his application of registration, an application in **FORM GST REG-11** shall be submitted electronically through the common portal, either directly or through a Facilitation Centre notified by the Commissioner, by such person before the end of the validity of registration granted to him.
 - (2) The application under sub-rule (1) shall be acknowledged only on payment of the amount specified in sub-section (2) of section 27.
-

नियम 15 : आकस्मिक कराधेय व्यक्ति और अनिवासी कराधेय व्यक्ति द्वारा प्रचालन की अवधि का विस्तार

- (1) जहां रजिस्ट्रीकृत आकस्मिक कराधेय व्यक्ति या अनिवासी कराधेय व्यक्ति रजिस्ट्रीकरण के उसके आवेदन में उपदर्शित रजिस्ट्रीकरण की अवधि का विस्तार चाहता है, एक आवेदन **जीएसटी-11 प्ररूप** में साधारण पोर्टल के माध्यम से इलैक्ट्रानिक रूप से या तो सीधे या आयुक्त द्वारा अधिसूचित सुकर केन्द्र के माध्यम से, ऐसे व्यक्ति द्वारा उसको प्रदत्त रजिस्ट्रीकरण की विधिमान्यता के समाप्त होने से पूर्व प्रस्तुत किया जाएगा।
 - (2) उप-नियम (1) के अधीन आवेदन केवल धारा 27 की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट रकम के संदाय पर अभिस्वीकृत किया जाएगा।
-